बिहार सरकार नगर <u>विकास एवं आवास</u> विभाग अधिसूचना

संख्या—11/न0वि0/गठन—04/2024 — \$24 / बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले सिवान जिला के कॉलम 4 में वर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या—1720 दिनांक—08.10.2024 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर पंचायत, महाराजगंज क्षेत्र विस्तार का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :—

क्र0 सं0	नगर निकाय का	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचाय	नगर पंचायत की कुल			
	नाम	नं0		त का	जनसंख्या (वर्ष			
				क्षेत्रफ	2011			
				ल	जनगणना के			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		आधार पर)			
1	2	3	4	5	6			
जिला का नाम-सिवान								
1	नगर	नगर पंचायत,	उत्तर– बंगरा (579) एवं तेवथा	9.01	26020			
	पंचायत,	महाराजगंज–157,	(575)	वर्ग				
	महाराजगंज	158, 159, 162,	दक्षिण–अभुई(163) एवं कटवार	कि0मी0				
	का क्षेत्र	580 एवं 581	(161)	(2226.				
	विस्तार	(वार्ड 01 से 14)	पूरब– रूकुन्दीपुर (168) एवं	42				
	(महाराजगंज)	धनछुहां– 582	बालबंगरा (156)	एकड़)				
		जगदींशपुर—160	पश्चिम– कोथुआ सारंगपुर					
			(585) एवं सवान विग्रह (583)					

इस क्षेत्र को नगर पंचायत, महाराजगंज कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।

बिहार सज्यपाल के आदेश से,

(अभय कुमार सिंह) सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—11/न0वि0/गठन—04/2024 ५२२५ / न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक—७७/७९/२५ प्रतिलिपिः—अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–04/2024 ⋦ूूभ /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक–⊙ि 3 २६ प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/मुहालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिवान/सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव। ज्ञापांक–11/न0वि0/गठन–04/2024 २२२१/ /न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक– ०७/०८ २५-प्रतिलिपिः–सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना/निदेशक, जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के

<u>बिहार सरकार</u> नगर विकास एवं आवास विभाग

<u>अधिसूचना</u>

संख्या—11/न0वि0/गठन—04/24 अधिसूचना संख्या— ५२२२ दिनांक—०६) ७२/२कूा— निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार गज्यपाल के आदेश से, (अभय कुमार सिंह) सरकार के सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग।

Government of Bihar Urban Development and Housing Department <u>Notification</u> •

Memo No-11/N. Vi./Gathan-04/24 $\begin{array}{l} \begin{array}{l} \begin{array}{l} \begin{array}{l} \begin{array}{l} \end{array} \end{array}$ In exercise of the powers conferred by sections 3 (1) (a), 4, 5, 6 and 8 of the Bihar Municipalities Act, 2007 (Bihar Act, 11, 2007) (as amended), the Governor of Bihar, after due consideration of the objections received, constitutes the extension of Nagar Panchayat, Maharajganj area, within the boundaries as mentioned in column 4 of Siwan district falling under column 3 for the purposes of the said Act, the draft of which has been previously published by the departmental notification number 1720 dated 08.10.2024 and applies the relevant provisions of the said Act in the said areas:-

Sl. no	Name of Urban Body	Name /thana no. of included Villages	Boundary (with thana no.) of Nagar Panchayat	Area of Naga r Panc hayat	Total Population of Nagar Panchayat (as per cencus year, 2011)					
1	2	3	4	5	6					
	Name of District-Siwan									
1	Extension of Nagar Panchayat, Maharajganj area	Nagar Panchayat, Maharajganj- 157,158,159, 162, 580 and 581 (Ward No. 01 to 14) Dhanchhuhan 582 Jagdishpur 160	South-Abhui (163)	9.01 Sq.k.m (2226. 42 acre)	26020					

This area will be called Nagar Panchayat, Maharajganj.

2. This notification shall come in to force at once.

By the order of the Governor of Bihar

(Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government

Dated: - 06/03/25-Memo No-11/N. Vi./Gathan-04/24 24 UD&HD Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban 2. Development and Housing Department.

(Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government

Dated:-06

UD&HD

524 Memo No-11/N. Vi./Gathan-04/24

03/22~ Copy to Pricipal Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/Additional Chief Secretary/Pricipal Secretary/ Secretary All Departments/All Departmental Divisional Commissioner/All Heads/All District Magistrates/Municpal Commissioner, All Municipal Corporation/Excutive Officer, All Municipal Counil and Nagar Panchayat/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer, Siwan/Private Secretary to the Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

(Abhay Kumar Singh)

Secretary to Government UD&HD Dated:-06/03/

Memo No-11/N. Vi./Gathan-04/24

Copy to Secretary, State Election 'Commission Bihar, Son Bhawan, Patna/Director of Census Directorate, Bihar, Patna for information and necessary action.

(Abhay Kumar Singh) Secretary to Government